प्रेस नोट –1

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

उदयपुर पुलिस की सफलता

वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश
दो गिरफ्तार 25 मोटर साईकिले की बरामद

जयपुर 5 मई। पुलिस थाना हाथीपोल ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 25 मोटर साईकिले की बरामद की है।

पुलिस अधीक्षक उदयपुर श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल ने शहर में बढती हुई वाहन चोरियों के खिलाफ कार्यवाही कर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चोरी के वाहनों बरामद करने के निर्देश दिये जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री सुधीर जोशी एवं श्री गोपाल सिह भाटी वृत्ताधिकारी वृत्त पश्चिम उदयपुर के निर्देशानुसार श्री अशोक आंजणा थानाधिकारी पुलिस थाना हाथीपोल, प्रशिक्षु आर0पी0एस श्री गोपाल सिह भाटी हैड कानि मोहम्मद अतहर कानि निसार मोहम्मद, कानि विकम सिह, कानि विनेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की ।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि टीम ने शहर में जिन स्थलों से वाहन ज्यादातर चोरी हो रहे थे उक्त स्थानों को चिन्हित कर उन सथानों की सतत् निगरानी की गई। पूर्व के चालानशुदा अपराधियों से पूछताछ की गई व उन पर निगरानी चालू की। कई संग्दिधों से पूछताछ कर मुखबीर मामूर किये गये।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल ने बताया कि कल 4 मई,2017 को जरिये मुखबीर हैड कानि मोहम्मद अतहर को सूचना मिली कि राजेन्द्र सिह कानावत उर्फ बन्टी सरदार पिता श्री ईश्वर सिंह कानावत जाति राजपूत निवासी धामणिया थाना रायला जिला भीलवाडा हाल न्यू आर0टी0ओ0 आफिस रघुनाथपुरा एक प्लसर ब्लैक रंग की हो को लेकर घुम रहा है उक्त सूचना पर पुलिस टीम को सूचना की तस्दीक के लिए शहर में रवाना किया जिनके द्वारा राजेन्द्र सिह कानावत उर्फ बन्टी सरदार को चोरी की मोटर साईकिल प्लसर सहित पकड वाहन के कागजात के सम्बन्ध में पूछताछ की तो कोई कागजात नहीं होना पाया जाने से उक्त वाहन के ईन्जन नम्बर व चेसिस नम्बरो का मिलान किया गया तो उक्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रार कार्यालय मधुवन से वर्ष 2016 में अभियुक्त ने चुराई जाना अभियुक्त ने स्वीकार किया। जिस पर मोटर साईकिल को जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

श्री प्रसाद ने बताया कि मुलजिम से कडी पूछताछ की गई तो मुल्जिम ने उसके साथी ईरफान शेख उर्फ पुई पिता श्री रियाज मोहम्मद निवासी पलोदडा हाउस रोशन कोलोनी सवीना थाना गोर्वधन विलास उदयपुर के साथ मिलकर उदयपुर शहर विभिन्न स्थानो, जिला चित्तोडगढ जिला अजमेर से करीब 50 मोटर साईकिल चुराना स्वीकार किया व शहर उदयपुर में चुराई गई कुछ मोटर साईकलो को राजसमन्द, भीलवाडा व चित्तोडगढ मे बेचना बताया।

श्री गोयल ने बताया कि मुलजिम राजेन्द्र सिंह कानावत उर्फ बन्टी सरदार की निशादेही से कुलिया 17 मोटर साईकिले बरामद की जा चुकी है। आज सुबह आर0पी0एस श्री गोपाल सिह भाटी हैड कानि मोहम्मद अतहर कानि निसार मोहम्मद, कानि विक्रम सिंह ने अन्य मुलजिम ईरफान शेख

उर्फ पुई को गिरफ्तार किया जाकर कडी पूछताछ कर उसकी निशादेही से 8 चुराई गई मोटर साईकिल बरामद की। मुलजिम राजेन्द्र सिह कानावत उर्फ बन्टी सरदार पिता श्री ईश्वर सिंह कानावत जाति राजपूत निवासी धामणिया थाना रायला जिला भीलवाडा हाल न्यू आर0टी0ओ0 आफिस रघुनाथपुरा आला दर्जे का वाहन चोर व नकबजन है । जिसके विरूद्ध अजमेर, राजससमन्द, भीलवाडा, चित्तौडगढ व उदयपुर जिले के विभिन्न थानों मे 22 प्रकरण दर्ज है।

उन्होंने बताया कि मुल्जिमों ने वाहन चुराये गये स्थलों की तस्दीक की जा रही है तस्दीक कर सम्बन्धित थानों को सूचना दी जावेगी व वाहनों के ईन्जन नम्बर, चेसिस नम्बर के आधार पर परिवहन विभग व निर्माता कम्पनियों से सूचना प्राप्त कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा। बरामद वाहनों में कुछ मोटर साईकिले पुलिस थाना भूपालपुरा, अम्बामाता, प्रतापनगर जिला भीलवाडा, कांकरोली जिला राजसमन्द से चुराई हो उक्त थानों में प्रकरण दर्ज है जिस पर सम्बन्धित थानो सम्पर्क किया जा रहा है।

तरीका वारदातः–

दोनो शातिर अपराधी जब साथ होते तो एक निगरानी रखता व दुसरा मास्टर की से मोटर साईकिल का लॉक खोलकर तुरन्त ही वहा से वाहन सहित निकल कर नजदीक भीड भाड वाली जगह पर मोटर साईकिल खडी कर देते नाकाबन्दी शुरू होने से पहले वाहन को नजदीक के सार्वजनिक पार्किग स्थल में खडी कर देते । अभियुक्तगण ने एक ऐसी मास्टर की बना रखी थी जो ज्यादातर सभी वाहनो में लग जाती थी जिससे वाहन का लॉक खोलकर चोरी कर लेते थे।

उक्त दोनो आरोपी ज्यादातर उन जगहो जैसे बैंक, हास्पीटल से मोटर साईकिल चुराते जहां ज्यादा लोग आकर अपनी मोटर साईकिल खडी कर आफिस में चले जाते व देर शाम को बाहर आते ।

उक्त मुलजिमान शराब व स्मैक पीने के लिये मोटर साईकिल चुराकर अपने घर में किसी की बीमारी के ईलाज हेतु रूपयो की आवश्यकता बता कर रूपये उधार लेकर मोटर साईकिल गिरवी रख देते व रूपये वापिस देकर मोटर साईकिल ले जाने का कहते जिससे अगले को मोटर साईकिल चोरी की होने का संदेह भी नही होता व गिरवी के रूप में 15–20 हजार रूपये उधार मिल जाते । प्राप्त रूपये नशे की पूर्ति व मौज शौक में प्राप्त राशि उडा देते। गिरवी रखी मोटर साईकिलो के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जा रहा है।

मुल्जिम राजेन्द्र सिह को आज न्यायालय में पेश कर दिनांक 08.05.2017 तक का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया जाकर पूछताछ जारी है। गहन पूछताछ की जाकर और वारदातो का खुलासा होने की सम्भावना है। टीम को आईन्दा हौसला अफजाई हेतु जिला स्तर पर सम्मानित किया जावेगा।

राही/सन्तरा/363/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

प्रेस नोट –2

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

हिस्ट्रीशीटर आजम के भाई अख्तर पर इमरान कुंजडा ने फायरिंग करने के मामले में महिला सहयोगी, षडयत्रकारी सहित तीन गिरफ्तार

जयपुर 5 मई। पुलिस अधीक्षक उदयपुर श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल ने बताया कि 27 अप्रेल,2017 को रात्री 9 बजे मुखर्जी चौक पर हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद आजम के भाई अख्तर पर कुख्यात बदमाश

इमरान कुंजडा द्वारा अपनी महिला सहयोगी के साथ बिना नम्बरी लाल कलर की स्कुटी पर आकर गोली मारकर घायल कर उसी महिला के साथ फरार हो गया था।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल ने बताया कि जिस पर श्री सुधीर जोशी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर के निर्देशन मे स्पेशल टीम एव थाना धानमण्डी को घटना में शामिल अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। जिस पर कल स्पेशल टीम ने अख्तर पर फायरिंग करने के मामले मे मुख्य षडयंत्रकारी मोहम्म्द हुसैन पिता मोहम्मद युसुफ उम्र 26 साल निवासी कुंजरवाडी थाना धानमण्डी सहित, वसीम उर्फ चिमनी पिता मोहम्म्द अकरम उम्र 25 साल निवासी कुंजरवाडी और महिला सहयोगी, श्रीमती शबनम उर्फ शब्बो पत्नि अख्तर हुसैन उम्र 26 साल निवासी सज्जन नगर थाना अंबामाता उदयपुर को 04 मई, 2017 को रात्री संजय गार्डन रानी रोड से गिरफ्तार किया।

श्री गोयल ने बताया कि अभियुक्तगण ने पुछताछ में बताया कि इमरान कुजडा ने टेलिफोन से अपने भाई असफाक व मोहम्मद हुसैन को बताया कि आजम के भाई अख्तर को गोली मार इसका काम तमाम करते है एक स्कुटी का इंतजाम करो जिस पर असफाक ने मोहम्मद हुसैन को स्कुटी के लिए कहा जिस पर मोहम्मद हुसैन ने मोहम्मद वसीम उर्फ चिमनी को टेलीफोन कर सारी बात बताई। व उससे स्कुटी मंगाई। जिस पर मोहम्मद वसीम ने अपनी महिला मित्र नैना जैन कि बिना नम्बर कि लाल कलर कि एक्टिवा स्कुटी लाकर मोहम्मद हुसैन को दीं मोहम्म्द हुसैन ने वसीम उर्फ चिमनी को कहा कि तु मुखर्जी चौक जा वहा से अख्तर पर नजर रख हम जब मुखर्जी चौक पहुचेंगे हम तेरे से संर्पक कर लेगें इसके बाद वसीम चिमनी मुखर्जी चौक आकर निगरानी करने लगा । स्कुटी को लेकर मोहम्मद हुसैन बर्फ फैक्ट्री गुलाब बाग रोड पहुंचा वहां पर असफाक एक अन्य मोटरसाईकिल लेकर मौजुद था कुछ देर में इमरान अपनी महिला मित्र शबनम उर्फ शब्बो के साथ आया वहां से स्कुटी शबनम उर्फ शब्बो ने चलाई व इमरान कुजडा स्कुटी के पीछे बैठ गया दुसरी मोटरसाइकिल पर असफाक व मोहम्म्द हुसैन बैठ रवाना हो मुखर्जी चौक पहुंचे यहां वसीम चिमनी ने अख्तर की लोकेशन बताई। जिस पर इमरान ने पहुंच अख्तर पर गोली चलाई गोली सही नही लगी अख्तर भागने लगा असफाक चिल्लाया छोडना मत दुसरा फायर किया राउंड पिस्टल मे फस गया भीड हो गई जिस पर इमरान कुजडा शबनम उर्फ शब्बो की स्कुटी के पीछे बैठ भागा व असफाक मोहम्म्द हुसैन व मोहम्म्द वसीम उर्फ चिमनी तीनों एक मोटरसाइकिल पर बैठ कर भाग गए। उक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तो कि तलाश जारी है।

मोहम्मद हुसैन कुख्यात व शातिर अपराधी हो इसके खिलाफ 24 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज है। जिसमें लुट, डकैती का प्रयास, मारपीट, फिरौती मांगना, बल्वा, महिलाओं के साथ छेडछाड, फायंरिग, जुआं, अवेध हथियार रखना व हत्या का प्रयास करने के मुकदमें दर्ज है। यह ईमरान कुजंडा का भाई है।

वसीम उर्फ चिमनी शातिर अपराधी हो ईमरान कुजंडा के गिरोह का सक्रिय सदस्य है। इसके खिलाफ 6 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हैं। जिसमें मारपीट, फिरौती मांगना, बल्वा, फायंरिग, जुआं, अवैध हथियार रखना व हत्या का प्रयास करने के मुकदमें दर्ज है।

राही / सन्तरा / 364 / 2017
नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

जयपुर एयरपोर्ट से अपहरण किये गये व्यापारी को थाना पहाडी इलाका से पुलिस ने कराया मुक्त

2 महिला सहित 3 जनों को गिरफ्तार कर फिरौती के 9.60 लाख रूपये बरामद

जयपुर 5 मई। पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई ने बताया कि कल 4 मई, 2017 को सूचना मिली कि जयपुर एयरपोर्ट से चैन्नई के एक व्यापारी का अपहरण कुछ बदमाशों ने किया है। अपहृता को पहाडी थाना क्षेत्र में किसी जगह पर बन्धक बनाया हुआ है। और छोडने के एवज में फिरोती की मांग की जा रही है।

श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई ने बताया कि उक्त सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीग श्री सुरेन्द्रसिंह कविया ने मुखबिर तन्त्र को काम लेते हुए अपहृता के बारे में जानकारी हासिल की तो ज्ञात हुआ कि जयपुर एयरपोर्ट से अपरहण कर लाये गये व्यक्ति को साकिर पुत्र बन्नू जाति मेव निवासी गांव हुजरा के घर में बदमाशों ने बन्धक बनाया हुआ है।

श्री विश्नोई ने बताया कि जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीग के निर्देशन में थानाधिकारी थाना पहाडी, नगर, सीकरी, गोपालगढ, जुरहरा व कैथवाडा की टीमों के सहयोग से दबिश दी जाकर गांव हुजरा में साकिर के मकान से अपहृता श्यामकुमार पुत्र श्रीधरन जाति ईजावा निवासी कोपरेटिव नगर थाना तिरवरकाडू जिला तिरिवल्लूर (चैन्नई) तमिलनाडू को बदमाशों के चंगुल से सकुशल मुक्त करवाया गया। तथा बदमाश रात के अधेंरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गये थे। इस सम्बन्ध में अपहृता श्यामकुमार ने थाना पहाडी पर मुकदमा में पंजीबद्व कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की गई और अजमेर पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए पुलिस थाना अलवर गेट की टीम के सहयोग से वारदात में सरीक व सहयोगी साकिर पुत्र जुम्मा जाति मेव निवासी हातिया थाना बरसाना जिला मथुरा यू0पी0, श्रीमति सरजूदेवी पत्नि सरवन पुत्री गोपाललाल जाति माली निवासी झालरा तालाब माली मौहल्ला मकराना जिला नागौर हाल बीपीएल क्वार्टर नं0 113 जेपी नगर मदार थाना अलवरगेट अजमेर व श्रीमति आसी पत्नि साकिर जाति मेव निवासी हुजरा थाना पहाडी को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि फिरोती के रूप में श्रीमति सरजूदेवी के बैंक खाता में अपहृता के परिजनों से 10 लाख रूपये डलवाये गये थे। जिनमें से 9 लाख 60 हजार रूपये बरामद कर लिये गये हैं। वारदात में सम्मलित अन्य बदमाशानों की तलाश जारी है एवं फिरौती की अन्य रकम की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे हैं।

राही/सन्तरा/365/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

ब्रीफकेश से 2 लाख 50 हजार रुपये चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफास

दो आरोपी महिलाएं गिरफ्तार,

2 लाख रुपये, बैक पास बुक व निर्वाचन फोटो पहचान पत्र बरामद

जयपुर 5 मई। अलवर पुलिस ने कार की डिग्गी में ब्रीफकेश से 2 लाख 50 हजार रुपये चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफास करते हुए 2 आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर, 2 लाख रुपये, बैक पास बुक व निर्वाचन फोटो पहचान पत्र बरामद किया है।

पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की गिरफतारी के लिए समस्त थानाधिकारियों को निर्देश दिये जिस पर थाना कोतवाली ने 4 मई, 2017 को अति. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री पारस जैन व पुलिस उप अधीक्षक वृत उत्तर शहर श्री जयसिंह नाथावत के निर्देशन में थानाधिकारी मय जाप्ता ने आरोपी महिला रोजा पत्नी राजा उम्र 32 साल जाति मद्रासी निवासी सी–1 747 मदनगीर थाना अम्बेडकर नगर तथा मधु पत्नी पनीर उम्र 35 साल जाति मद्रासी निवासी सी–1 747 मदनगीर थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी महिलाओं से 02 लाख रुपये व बैक की पास बुक व निर्वाचन पहचान पत्र बरामद किये। आरोपी महिलाओ से गहनता से पूछताछ की जा रही है। आरोपी महिलाओं से और भी वारदाते खुलने की सम्भवाना है।

श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि 21 अप्रेल 2017 को परिवादी श्री अरविन्द लावनिया पुत्र श्री सत्यभान जाति ब्रहामण निवासी ए–86 हसन खॉं मेंवात नगर थाना शिवाजी पार्क अलवर ने उप. थाना होकर रिपोर्ट दर्ज कराई की आज 21 अप्रेल,2017 को मै मेरे बैक अकाउन्ट एस बी आई बैंक आर्य नगर अलवर से 2.50 लाख रुपये निकलवाकर ब्रीफकेश में रखकर कार की डिग्गी में रखकर मैं मेरे ससुराल मकान नं. 83 स्कीम नं. 2 अलवर में गया था। जैसे ही मैने गाडी घर के सामने खडी करके अन्दर गया तभी पिछे से मोटरसाईकिल सवार दो लडकों ने मेरी गाडी की डिग्गी का ताला खोलकर ब्रीफकेश मय 2.50 लाख रुपये के चोरी करके फरार हो गया।

श्री प्रकाश ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानो जिनमें बैक, फाईन्नस कम्पनी ओफिस, बडे शोरुम, जिनमे ग्राहक चोपहिया वाहनो में अपने पैसे व सामान रखकर आते दृजाते है तब खडे वाहनो रैकी करना रेकी के बाद खडी गाडियो के शीशे व लॉंक तोडकर गाडी में रखे सुटकेश, लैपटौप व पैसो को चोरी कर ले जाना।

राही/सन्तरा/366/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

''एनडीपीएस केसेज् एवं उनसे जुडे पहलु'' पर
एक दिवसीय कार्यशाला मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में

जयपुर 5 मई। ''**एनडीपीएस केसेज् एवं उनसे जुडे पहलु**'' पर पुलिस मुख्यालय में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला मंगलवार 9 मई को प्रातः 10 बजे से पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित की जायेगी।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध श्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि कार्यशाला का आयोजन महानिदेशक पुलिस श्री मनोज भट्ट के मुख्य आतिथ्य में होगा। इस कार्यशाला में नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो,नई दिल्ली के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री देव ज्योति रे, डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवन्यू इंटेलिजेन्स के अतिरिक्त निदेशक श्री आर. के. मिश्रा, प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक श्री जगदीश खींचड के अतिरिक्त बीएसएफ, आबकारी विभाग, मध्य प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस, गुजरात पुलिस के प्रतिनिधी भाग लेगें। उन्होने बताया कि इस कार्यशाला में राज्य के झालावाड, बारां, कोटा शहर व ग्रामीण,चित्तौडगढ,प्रतापगढ,पाली व जोधपुर ग्रामीण जिले जिनमें एनडीपीएस एक्ट के अपराधों में ज्यादा मुकदमें दर्ज किये गये है के पुलिस अधीक्षक भी सम्मलित होंगे।

श्री सिंह ने बताया की इस कार्यशाला में तीन सत्र होंगे। कार्यशाला के प्रथम सत्र को नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो,नई दिल्ली के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री देव ज्योति रे, डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवन्यू इंटेलिजेन्स के अतिरिक्त निदेशक श्री आर. के. मिश्रा, प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक श्री जगदीश खींचड संबोधित करेंगे। दुसरे सत्र को श्री राघवेन्द्र कछवाल,ADJ,MACT,SMP, आबकारी विभाग,राजस्थान के अतिरिक्त आयुक्त श्री बाल मुकुन्द असाब तथा बीएसएफ के अधिकारी व सिनियर एडवोकेट संबोधित करेंगे। उन्होने बताया कि इसी प्रकार तीसरे सत्र को महानिरीक्षक पुलिस,एसओजी श्री एम. एन. दिनेश तथा मध्य प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस, गुजरात पुलिस के साथ राज्य के पुलिस अधीक्षक संबोधित करेंगे।

कार्यशाला के समापन में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,एटीएस व एसओजी श्री उमेश मिश्रा अतिथियों का आभार व्यक्त करेंगे। कार्यक्रम के समापन की घोषणा महानिदेशक पुलिस कारागार करेगें।

राही/मनीष/अमन/360/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

रिश्वत देने के आरोपियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे
महानिदेशक पुलिस ने किया कानिस्टेबल को सम्मानित

जयपुर, 5 मई। ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिये महानिदेशक पुलिस श्री मनोज भट्ट ने कोटा शहर के एक पुलिसकर्मी को 5100 रूपये नकद मय प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध श्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस थाना अनन्तपुरा, कोटा शहर के श्री विरेन्द्र सिंह कानिस्टेबल 1153 द्वारा वृत कार्यालय चतुर्थ कोटा शहर में पदस्थापन के दौरान नकली देशी घी के मामले में पंजीबद्व अभियोग के कुछ दस्तावेजो की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के लिये अभियुक्त जगदीश अग्रवाल व हरिशंकर द्वारा 500 रूपये रिश्वत के ऑफर करने पर श्री विरेन्द्र द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत की जिसपर रिवर्स ट्रेप की कार्यवाही की गई जिसमें अभियूक्त जगदीश अग्रवाल को माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण मामलात कोटा द्वारा 04 वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

श्री सिंह ने बताया कि श्री विरेन्द्र सिंह का यह कृत्य ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक होकर सराहनीय रहा है। उक्त सराहनीय एंव प्रशंसनीय कार्य के लिए 5100 रूपये नकद ईनाम मय प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया है।

राही/मनीष/अमन/360/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।